रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1990 (भाद्रपद 10, 1912)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1990 (BHADRA 10, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी बैंक विभाग
केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400021, दिनांक 10 अगस्त 1990

सं० एस० बी० डी०/002316—

वर्तमान विनियमन	प्रस्तावित विनियमन
चिकित्सा सहायता	
24 (1) हर अधिकारी को अपने परिवार हेतु उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी:—	हर अधिकारी को अपने व अपने परिवार हेतु उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :—
(क) चिकित्सा व्यय :	(क) चिकित्सा व्यय :
दिनांक 1 जनवरी 1985 से या उसके बाद निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित वेतनमान में कार्यरत अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्तंभ 2 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंतर्गत अधिकारी द्वारा व्यय	दिनांक 1 जनवरी 1987 से या उसके बाद निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित वेतनमान की वेतन श्रेणी के अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्तंभ 2 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंतर्गत अधिकारी द्वारा व्यय का विवरण दर्शाते

वर्तमान विनियम

का विवरण दर्शाते हुए व्यय संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर उसके अनुरूप की जाएगी :—

तालिका

वेतनमान	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु० 1175 से 1825 तक प्रति माह	रु० 600/-
रु० 1826 प्रति माह और उससे अधिक	रु० 800/-

नोट:—अधिकारी उपयुक्त चिकित्सा व्यय संचित कर सकता है लेकिन उस तरह संचित रकम उपर्युक्त अधिकतम सीमा की रकम के तीन गुना रकम से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के उद्देश्य के लिए अधिकारी के "परिवार" में केवल उसके पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता-पिता सम्मिलित होंगे।

(ख) चिकित्सालय वास का व्यय :

(1) जिन स्थितियों में चिकित्सालय में भर्ती होना आवश्यक होगा, अधिकारी के लिए 75 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 50 प्रतिशत का चिकित्सालय वास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) दिनांक 1-1-1987 को अथवा उसके पश्चात् निम्नलिखित बीमारियों के लिए घर पर हुए इलाज से संबंधित चिकित्सा व्यय मान्यता प्राप्त चिकित्सालय प्राधिकारियों तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने पर चिकित्सालय वास व्यय माना जाएगा तथा व्यय की अधिकारी के लिए 75 प्रतिशत और उसके परिवार के लिए 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी:—

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय संबंधी इलाज, ट्यूमर, चेचक, प्लूरसी, डिफथीरिया, कुष्ठरोग, किडनी चिकित्सा।

प्रस्तावित विनियम

हुए व्यय संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर उसके अनुरूप की जाएगी :—

तालिका

वेतनमान	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु० 2100 से 3060 तक प्रतिमाह	रु० 600/-
रु० 3061 प्रति माह और उससे अधिक	रु० 800/-

नोट:—अधिकारी उपयुक्त चिकित्सा व्यय संचित कर सकता है लेकिन उस तरह संचित रकम किसी भी समय उपर्युक्त अधिकतम सीमा की रकम के तीन गुना रकम से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:—इस विनियम के उद्देश्य के लिए अधिकारी के "परिवार" में केवल उसके पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता—पिता सम्मिलित होंगे।

(ख) चिकित्सालय वास का व्यय :

(1) जिन स्थितियों में चिकित्सालय में भर्ती होना आवश्यक होगा, अधिकारी के लिए 75 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 50 प्रतिशत का चिकित्सालय वास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) 1-4-1989 को अथवा उसके पश्चात् निम्नलिखित बीमारियों के लिए घर पर हुए इलाज से संबंधित चिकित्सा व्ययों को मान्यता प्राप्त चिकित्सालय प्राधिकारियों तथा बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने पर चिकित्सालय वास व्यय माना जाएगा तथा व्यय की अधिकारी के लिए 70 प्रतिशत और उसके परिवार के लिए 60 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी:—

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय संबंधी इलाज, ट्यूमर, चेचक, प्लूरसी, डिफथीरिया, कुष्ठरोग, किडनी चिकित्सा।

ह०
उप मुख्य अधिकारी
सहयोगी बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

कार्मिक प्रभाग

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1990

सं० एफ० 17-2-84-आई० आर०—बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नेशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमावली, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का नाम पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियमावली, 1979 होगा।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

भाग-I

परिभाषाएं। विनियम 3—

3 (ठ) "वेतन" से अवरोध वेतनवृद्धियों सहित, मूल वेतन अभिप्रेत है।

3 (ड) "संवेतन" से वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है।

विनियम 4(1)—

श्रेणियां तथा वेतनमान। 1-2-1984 को और उसके बाद से अधिकारियों के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी जिन पर प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :—

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान-VII	रु० 4100-125-4600
वेतनमान-VI	रु० 3850-125-4350

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-V	रु० 3575-110-3685-115-3800
वेतनमान-IV	रु० 2925-105-3450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-III	रु० 2650-100-3250
वेतनमान-II	रु० 1825-100-2925

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-I	रु० 1175-60-1475-70-1895-द० रो०-95-2275-100-2675

1-11-1987 को और उसके बाद, प्रत्येक पदक्रम के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :—

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान-VII	रु० 6400-150-7000
वेतनमान-VI	रु० 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-V	रु० 5350-150-5950
वेतनमान-IV	रु० 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-III	रु० 4020-120-4260-130-4910
वेतनमान-II	रु० 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान-I	रु० 2100-120-4020

परन्तु यह कि नियत तारीख को लागू वेतनमान द्वारा ऐसे प्रत्येक अधिकारी के वेतन का, जिसका विनियम 8 के अधीन जारी सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार उक्त वेतनमान में नियतन किया गया था, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऊपर बताए गए वेतनमान में नियतन किया जाएगा।

विनियम 5—

वेतनवृद्धियां। दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उपखण्डों के अध्यधीन दी जाएंगी :—

(क) विनियम 4(1) में उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन, वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख से दी जाएंगी।

(ख) वेतनमान-I तथा वेतनमान-II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति वेतनमान-II तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (यां) दी जाएंगी। वेतनमान-II के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु० 130/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान-III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु० 140/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

टिप्पणी:—अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के उसके पश्चात् भी अधिकारी को यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान-I अथवा-II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

5(ड) दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक, अर्हता भत्ता दिया जाएगा :—

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का केवल भाग-I उत्तीर्ण किया है।	1 वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रतिमास जिसमें से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए है।	(i) 1 वर्ष पश्चात रु० 100/- प्रतिमास जिस में से रु० 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे। (ii) 2 वर्ष पश्चात् रु० 250/- प्रतिमास जिसमें से 200/- सेवानिवृत्ति लाभ के लिए गिने जाएंगे।

टिप्पणी : यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में, पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय, उसे वेतनमान में उपलब्ध सीमा तक, सी०ए०आई०आई०बी० की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाएंगी और, यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक ही वेतनवृद्धि उपलब्ध हैं, तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा।

विनियम 21—

महंगाई/भत्ता दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :—

(i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :—

(i) रु० 1650/- तक वेतन का 0.67 प्रतिशत, और

(ii) रु० 1650/- से ऊपर परन्तु रु० 2835/- तक वेतन का 0.55 प्रतिशत, और

(iii) रु० 2835/- से ऊपर परन्तु रु० 4020/- तक वेतन का 0.35 प्रतिशत, और

(iv) रु० 4020/- से ऊपर वेतन का 0.17 प्रतिशत।

विनियम 22—

मकान किराया भत्ता। (1) दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम जिसमें वह रखा गया है, में से 6 प्रतिशत वेतन अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(2) दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित

दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :—

कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 14 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु० 375/-
(ii) क्षेत्र-I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु० 300/-
(iii) क्षेत्र तथा उपर्युक्त (i) तथा (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु० 250/-
(iv) अन्य सभी स्थान	वेतन का 8 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु० 250/-

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के वेतन के 6 प्रतिशत से ऊपर उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा जो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिक से अधिक 160 प्रतिशत होगा ।

विनियम 22(3)—

यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (2) में उल्लिखित परन्तुक के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह नीचे "अ" अथवा "आ" में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो—

"अ"

निम्नलिखित का योग:—

(1) निवास स्थान के लिए देय नगर पालिका कर, और

(2) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12 प्रतिशत और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किन्तु इसके अंतर्गत वातानुकूलक जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, अथवा

"आ"

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य ।

स्पष्टीकरण:—

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मानक किराया" से अभिप्रेत है :—

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार ने ऐसे निवास स्थानों के संबंध मे प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया ।

(ख) यदि निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है, तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया ।

विनियम 23(1)—

नगर प्रतिकर भत्ता । 1-11-1987 को और उसके बाद, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ-1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो उस स्थान के सामने स्तम्भ-2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता परन्तु गोवा राज्य के अलावा पणजी और मारमूगो के शहरी समूह में 20-8-1988 से नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा जहां यह 1-11-1987 को देय नहीं था ।

स्थान	दरें
1	2
(क) क्षेत्र-I के स्थान और गोवा राज्य	वेतन का 6½ प्रतिशत अधिकतम रु० 220/- प्रति माह ।

1	2
(ख) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चण्डीगढ़, पांडीचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते ।	वेतन का 4 प्रतिशत अधिकतम रु० 135/- प्रति माह ।

विनियम 23(5)—

प्रतिनियुक्ति भत्ता । 1-11-1987 को और उसके बाद, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है । विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त 12 प्रतिशत, अधिकतम रु० 700/- प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते । परन्तु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन के 6 प्रतिशत अधिकतम रु० 350/- प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

परन्तु यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में अथवा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है उसे उसके वेतन के 6 प्रतिशत, अधिकतम रु० 350/- प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

विनियम 23(vi)—

स्थानापन्न भत्ता । दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, यदि उससे कम से कम 7 दिन लगातार या किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल सात दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन का 6 प्रतिशत, लेकिन अधिक से अधिक रु० 250/- प्रति माह स्थानापन्न भत्ता मिलेगा । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि के लिए हिसाब में लिया जाएगा किन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं ।

परन्तु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के मात्र पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप ही उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा ।

विनियम 23(vii)—

लेखाबंदी भत्ता । वित्तीय वर्ष 1989-90 और उसके बाद, यदि वह किसी ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है, जहां 31 मार्च और 30 सितम्बर को बहियों का समापन कार्य होता है, तो उसे ऐसी प्रत्यक लेखाबंदी के लिए रु० 150/- लेखाबंदी भत्ता दिया जाएगा ।

विनियम 23 (x)—

पर्वत और ईंधन भत्ता । दिनांक 1-11-1987 को उसके बाद, यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवा कर रहा हो तो उसे स्तम्भ-2 में उल्लिखित दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा :—

स्थान	दर
1	2
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर	वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम रु० 130/-
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान पर	वेतन का 6½ प्रतिशत अधिकतम रु० 160/-
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर	वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु० 600/-

टिप्पणी:—(क) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थान जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती

हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता दिया जाएगा।

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत और ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे। 1-11-1987 और 30 अप्रैल, 1989 के बीच दिया गया भत्ता वसूल नहीं किया जाएगा। पहली मई, 1989 से और उसके बाद उक्त तारीख को अथवा उसके पहले से उस केन्द्र पर उसी वेतनमान में तैनात रहने की तारीख तक केवल पुराने प्रावधानों के अनुसार 30 अप्रैल को मिल रहे भत्ते के बराबर राशि का संरक्षण किया जाएगा।

विनियम 24(1)—

चिकित्सा सहायता। अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात:—

(क) चिकित्सा व्यय :

दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद, अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट वेतन सीमा तथा स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :—

सारणी

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
1	2
रु० 2100/- से रु० 3060/- प्र० मा०	रु० 600/-
रु० 3061/- प्र० मा० और उससे अधिक	रु० 800/-

टिप्पणी :— उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है, परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:—

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी के परिवार में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(i) 1-4-89 को और उसके बाद, अस्पताल में भर्ती होने पर, अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(v) दिनांक 1-4-1989 को और उसके बाद, मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों को अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, प्लूरिसी, डिफ्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी।

विनियम 25—

आवास व्यवस्था। दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किन्तु यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 6 प्रतिशत या आवास के लिए मानक किराए का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास-व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

विनियम 34(1)—

बीमारी छुट्टी। 1-1-1989 को और उसके बाद से अधिकारी, अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान, अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन के हिसाब से अधिक से अधिक 18 महीने की बीमारी की छुट्टी का पात्र होगा। उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में इस प्रकार

540 दिन की छुट्टी संचित की जा सकती है लेकिन यह छुट्टी केवल बैंक को स्वीकार्य या बैंक द्वारा अपने खर्च अपने विवेक से नामित किसी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके ही ली जा सकती है।

विनियम 35—

बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी। 1-1-1989 को और उसके बाद से जिस अधिकारी ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो वह 24 वर्ष से अधिक की प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने के हिसाब से बीमारी की छुट्टी पाने का पात्र होगा, लेकिन बीमारी को यह अतिरिक्त छुट्टी अधिक से अधिक 3 महीने की होगी।

विनियम 41—

यात्रा का साधन और यात्रा व्यय। जब किसी अधिकारी से ड्यूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है, तो दिनांक 1-4-1990 को और उसके बाद से उस पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(1) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है। किन्तु कारोबार की आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह इकानामी श्रेणी में विमान द्वारा यात्रा कर सकता है।

(2) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है। किन्तु यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो तो वह इकानामी श्रेणी में विमान द्वारा यात्रा कर सकता है। परन्तु कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, वह इस कम दूरी की यात्रा भी इकानामी श्रेणी में विमान द्वारा कर सकता है।

(3) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या इकानामी श्रेणी में विमान द्वारा यात्रा कर सकता है।

(4) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। किन्तु यदि उक्त दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी विमान या रेल यात्रा द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए।

विनियम 42(2)—

स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता। (1) 1-11-1987 को और उसके बाद, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

वेतन सीमा	परिवार सहित	परिवार रहित
रु० 2100/- से रु० 3060/- प्रतिमाह	3000 किलोग्राम	1000 किलोग्राम
रु० 3061/- प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2000 किलोग्राम

विनियम 45(2)—

भविष्य निधि। बैंक भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियम के अनुसार, अन्शदान देगा परन्तु उसके अंशदान की राशि 1-11-1987 को और उसके बाद से 31-12-1988 तक अधिकारी के वेतन के 80 प्रतिशत का 10 प्रतिशत, 1-1-1989 को और उसके बाद से 31-12-1989 तक 90 प्रतिशत का 10 प्रतिशत, तथा 1-1-1990 को और उसके बाद से वेतन का 10 प्रतिशत होगी।

विनियम-46(2)

उपदान। अधिकारी को देय उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है, तो वह उपदान के रूप में, तीस वर्ष से ऊपर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

टिप्पणी : यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

विनियम 2--

विनियमों का लागू होना । 2(1) ये विनियम बैंक के सभी अधिकारियों पर और बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों पर जिन पर इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाए, उक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे ।

(2) ये विनियम भारत के बाहर स्थानांतरित/तैनात/प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अथवा सामान्य तौर पर निर्धारित सीमा अनुसार लागू होंगे ।

(3) परन्तु ये विनियम भारत के बाहर किसी देश में नियुक्त/कार्यरत और वहां स्थायी रूप से सेवारत कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे ।

राशिद जीलानी
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

बैंक आफ महाराष्ट्र

कार्मिक विभाग

पुणे—411005, दिनांक 27 जून 1990

सं० ए० डी० वी० टी०--ii/ VI/ एफ- 178/90-91--- बैंक आफ महाराष्ट्र का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970/1980 (1970 का 5/1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियमावली 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा संशोधन विनियमावली 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. बैंक आफ महाराष्ट्र बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली 1979 में, वर्तमान विनियम 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाए ।

2(1) ये विनियम बैंक के सभी अधिकारियों पर और बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों जिन पर इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाए, उक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे ।

(2) ये विनियम विशेष रूप से या सामान्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित सीमा के अलावा उन अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो भारत के बाहर नियुक्त/स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

(3) परन्तु ये विनियम भारत के बाहर किसी भी देश में स्थायी रूप से नियुक्त/सेवारत कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे ।

प्र० अ० चितले
उप महाप्रबंधक (स्थानापन्न)
(कार्मिक)

भारतीय चार्टर्डप्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता-700071, दिनांक 10 अगस्त 1990

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० ई०सी० ए० (8)/ 4/ 90-91---चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	11153	श्री समरेन्द्रा दास गुप्ता, एफ०सी०ए०, सी०डी०-273, साल्ट लेक, कलकत्ता-700064	23-6-90
2.	51097	श्री बिमल कान्ती चौधरी, ए०सी०ए०, 94, आशुतोष कालोनी, हाल्टु, कलकत्ता-700078	8-6-90
3.	51314	श्री कल्लोल कुमार राय, ए०सी०ए०, 26ए, ईस्ट रोड़, कलकत्ता-700032	25-6-90
4.	53317	श्री संकर प्रसाद दत्ता, ए०सी०ए०, 2ए, जोगेश मित्रा रोड, कलकत्ता-700025	27-6-90
5.	53843	श्री सुरजीत मुखर्जी, ए०सी०ए०, 158/1, बकुल बगान रोड, कलकत्ता-700025	8-6-90

1	2	3	4
6.	50388	श्री सीताराम गोइंका, एफ०सी०ए०, डी०–11, रानी सती नगर, फ्लैट सं० 11, 2 फ्लोर, "ए" विंग, एस०वी० रोड मैलाड (वैस्ट), बम्बई–400064	20–6–90
7.	85047	श्री आतिस भट्टाचार्या, ए०सी०ए०, 20/1 सी, राजा मनिन्द्रा रोड, कलकत्ता–700037	8–6–90

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 6 अगस्त 1990

शुद्धिकरण

सं० 2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/ 89/ भाग–I/ 3246—कृपया अधिसूचना संख्या 2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम/ 89/ भाग–I/2233, दिनांक 26–2–1990 जो भारत सरकार के राजपत्र, भाग–III खण्ड–4– पृष्ठ संख्या 1237 (हिन्दी में) में प्रकाशित हुआ है का अवलोकन करें ।

कथित अधिसूचना की अनुसूची–1 के क्र० सं० 10 पर प्रकाशित शब्द "जउलिक्स" को "जनाटिक्स" द्वारा प्रतिस्थापित करें ।

दिनांक 7 अगस्त 1990

सं० के० भ० नि० आ०/1 (4) गुजरात (164)/ 90/ 3292—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	जी०जे०/ 14018	मै० हनी एण्ड सन्स ट्रांस–पोटर्स, एण्ड लेबर कन्ट्रैक्टर बी–1748, लाल बाजार, गलियारवाड भड़ौच–992004	30–5–86
2.	जी०जे०/ 13819	मै० के०एम०बी० टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, जी०आई०डी०सी० के सामने, मनन्द जिला–अहमदाबाद	1–11–88
3.	जी०जे०/ 14333	मै० पटेल फिल्टर्स (कान्सल-टेन्ट्स), वल्लभ विद्या नगर रोड, करमसाद' जिला–कायरा–388325	1–5–87

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा I की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

दिनांक 10 अगस्त, 1990

सं० सम्मेलन/5(15)87/न० ना० /2027–कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उपपैराग्राफ (1) के क्रम में और दिनांक 19–10–85 को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना के सा० आ० सं० 4914 का अधिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य की क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :–

अध्यक्ष

1.	आयुक्त एवं सरकार के सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, मद्रास–600009.	अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त ।
	सदस्य	
2.	सरकार के उप–सचिव, वित्त विभाग, मद्रास–600009.	राज्य सरकार की सिफारिशों पर अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त दो कर्मचारी ।
3.	श्रमायुक्त, मद्रास नियोक्ता पक्ष के प्रतिनिधि	
4.	थीरू एन० कानन, सचिव, दक्षिण भारत नियोक्ता संघ 41, कस्तूरी रंगा रोड, मद्रास – 600018.	राज्य के नियोक्ता संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त नियोक्ता पक्ष के पांच प्रतिनिधि ।
5	थीरू एम० माधवन, विधि अधिकारी, दक्षिण भारत मिल्स एसोसिएशन, रेस रोड, कोयम्बटूर	

6. श्रीरू सी० शंकरानारायणन्,
सचिव,
प्लांटर्सएसोसिएशन आफ तमिलनाडु,
कुन्नूर—643101

7. श्रीरू के० गणपति,
कम्पनी सचिव,
दक्षिण भारत चीनी मिल्स
एसोसिएशन न० 18,
राधाकृष्ण स्ट्रीट,
टी० नगर, मद्रास —17.

8. श्रीरू टी. एम० धनपालन,
अवैतनिक महासचिव,
तमिलनाडु लघु उद्योग,
एसोसिएशन, मैसर्स निवास
उद्योग, 4-ए (एन० पी०)
डेवलपमेंट प्लाट,
इक्कादुथरंगल, मद्रास— 97,

कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि

9. श्रीरू एम० सी० कृष्णन, उपाध्यक्ष तमिलनाडु एटक, मद्रास — राज्य के कर्मचारी संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी पक्ष के पांच प्रतिनिधि

10. श्रीरू ए० के० पद्मनाभन,
सहायक महासचिव,
तमिलनाडु राज्य सीटू
मद्रास ।

11. श्रीरू एस० दुरैस्वामी,
महासचिव,
लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन,
मद्रास —600005
(केन्द्रीय संगठन)

12. श्रीरू पी० एल० सुबैया,
महासचिव,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन
कांग्रेस,
कोयम्बटूर ।

13. श्रीरू वी० जी० राजन,
हिन्दू मजदूर सभा,
त्यागी एन० जी० आर०
महल, 2242,
त्रिची रोड, सिंघानुर,
कोयम्बटूर-641005 ।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

सीमाशुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, दिनांक 26 जुलाई 1990

सं० VIII/17/202/89 सी० शु० विधि - सीमा शुल्क (नामों का प्रकाशन) नियम 1975 के नियम 3 (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अन्तर्गत दोषसिद्ध व्यक्तियों के नाम और विवरण नीचे संलग्न सारणी में प्रकाशित करता हूं ।

क्र०	दोषसिद्ध व्यक्तियों का नाम और पता	अपराध का स्वरूप	दंडादेश अधिनियम करने वाले न्यायालय का नाम	आपराधिक मामला सं०	दोषसिद्धि की तारीख	अधिनिर्णीत दंड के विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाण्डुरंग पिता शिवाजी जाधव सलसिंग तालुक, द्वारा जिला सांगली महाराष्ट्र	रु० 44,667/- मूल्य की विदेशी मूल की 170.46 ग्राम्स कुल वजन के तीन सोने के टुकड़े, किसी भी अन्य प्रकार से व्यवहार करने के साथ अथवा अपनी सुपुर्दगी में रखने, ले जाने, छिपाने, खरीदने से संबद्ध जिसे वह जानता था अथवा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) धारा 111 (डी) के अधीन जब्ती के योग्य है, यह विश्वास करने के कारण थे ।	प्रधान सिविल और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलगाम	सी०सी०सं० 105/89	23-3-89	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 (1) (बी) (ii) के अधीन अपराध दंडनीय सिद्ध हुआ और 1,000/- रुपये जुर्माना देने का दंडादेश हुआ और संदाय के अभाव में 20 दिनों का साधारण कारावास ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	सी०एम० दाऊद पिता मोहिद्दीन कुन्नी तेक्किला पेरी पोस्ट जिला कासरगोड केरल राज्य	रु० 77,697/- मूल्य की विदेशी मूल की 30 तोला का कुल वजन के तीन सोने के पैलेट्स किसी भी अन्य प्रकार से व्यवहार करने के साथ अथवा अपनी सुपुर्दगी में रखने, ले जाने, छिपाने, खरीदने से संबंद्ध जिसे वह जानता था अथवा सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) धारा III (डी) के अधीन जब्ती के योग्य हैं, यह विश्वास करने के कारण थे।	प्रधान सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेलगाम	सी०सी० सं० 1473/88	23-3-89	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 135 (1) (बी) (ii) के अधीन अपराध दंडनीय सिद्ध हुआ और 1,000/- रुपये जुर्माना देने का दंडादेश हुआ और संदाय के अभाव में 20 दिनों का साधारण कारावास।

जे० पी० कौशिक
समाहर्ता सीमा शुल्क,
बंगलौर

सैन्ट्रल वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 अगस्त 1990

सूचना

सं० सी०डब्ल्यू०सी०/iii-18/33/90 बी० एण्ड सी० सैन्ट्रल वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन नियम, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में विद्यमान रिक्ति को भरने हेतु 10-8-90 से दो वर्ष की अवधि के लिए वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 1 के खंड (ई) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों द्वारा 8-8-90 (अपराह्न) को विधिवत चुने गए निदेशक का नाम तथा पता निम्न-प्रकार से अधिसूचित किया जाता है:—

अंशधारियों का वर्ग	निदेशक का नाम तथा पता
सहकारी समितियां	श्री सरजू नारायण पुरोहित, मार्फत बीकमपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० बीकमपुर (जिला-बीकानेर)।
	II. रानी बाजार सहकारी उपभोक्ता भंडार लि० बीकानेर।

एम० मसीह,
सचिव,
सैन्ट्रल वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन

छावनी बोर्ड

बेलगाम, दिनांक 12 मई 1990

का० आ० वि० आ०-14/संशोधन/88—जबकि छावनी अधिनियम, 1924/1924 का 21 की धारा 61 में उल्लिखित के अनुसार, विज्ञापनों पर कर लगाने के लिए एक सार्वजनिक सूचना 27 दिसम्बर, 1989 को इसके प्रकाशन के तीस दिन की अवधि के अन्दर उक्त सूचना द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित की गई थी।

और जबकि जनता की ओर से प्राप्त दो आपत्तियों तथा सुझावों पर छावनी बोर्ड, बेलगाम द्वारा विचार कर लिया गया है।

अब इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से छावनी बोर्ड, बेलगाम एतद्द्वारा बेलगाम छावनी की सीमाओं के अन्दर दिए गए-कर के नाम से निम्न-लिखित विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार कर लगाता है:—

क्रमांक	विवरण	कर की राशि
1	2	3
1.	विज्ञापन बोर्ड/दीवार पर लटकाने वाले चित्र/साइन बोर्ड तथा बिजली से न जलने वाले स्काई साइन्स.	4/- रुपये प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर
2	फुटपाथ तथा छोटी सड़क के आर-पार लटकाने वाले विज्ञापन	6/- रुपये प्रतिमाह प्रति वर्गमीटर

1	2	3
3.	साईकल, रिक्शा, हाथ, ठेला, बैलगाड़ी, जतका अथवा व्यक्ति द्वारा दोनों ओर उठाकर ले जाए जाने वाले बोर्ड	16/- रुपये प्रतिमाह
4.	यांत्रिक साधनों—मोटर कार, बसें, वाहन/वेन तथा लारियों पर ले जाने वाले विज्ञापन	40/- रुपये प्रतिमाह
5	बिजली से प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन	20/- रुपये प्रतिमाह
6	स्लाइडों द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित किए जाने वाले विज्ञापन	20/- रुपये प्रतिमाह
7.	पर्दे पर प्रदर्शित की जानेवाली सभी फिल्में	0.40 रुपये प्रति मीटर
8	बिजली से प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन तथा नियोन साईन-बोर्ड	12/- रुपये प्रतिमाह
9.	सिनेमा सम्बन्धी तथा पोस्टर	
	(क) डबल क्राऊन आकार जो 20×10 से अधिक स्थान न घेरे	0.20 पैसे प्रति पोस्टर
	(ख) क्वाड क्राऊन आकार जो 30×40 से अधिक स्थान न घेरे	0.40 पैसे प्रति पोस्टर
	(ग) डबल क्राऊन, क्वाड क्राऊन, रायल साईज पोस्टरों के अतिरिक्त अन्य आकार के लिए	0.40 पैसे प्रति पोस्टर

बशर्ते इस धारा के अन्तर्गत, निम्नलिखित विज्ञापनों तथा सूचनाओं पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा :-

(क) छावनी बोर्ड, बेलगाम के

(ख) किसी सार्वजनिक सभा से संबंधित

(ग) छावनी बोर्ड अथवा किसी विधायी निकाय के चुनाव से संबंधित

(घ) इस प्रकार के चुनाव के लिए किसी प्रत्याशी से संबंधित

इसके साथ यह शर्त भी होगी कि किसी भी विज्ञापन पर यह कर नहीं लगाया जाएगा जो कि स्काई-साइन नहीं हों और जो :-

(क) किसी भवन की खिड़की के अन्दर प्रदर्शित हो,

(ख) किसी भूमि अथवा भवन में वही व्यापार कार्य किया जा रहा हो जिसके लिए विज्ञापन उसके ऊपर प्रदर्शित किया गया है अथवा ऐसी भूमि या भवन की बिक्री किरायेदारी से संबंधित हो या इससे प्रभावित हो अथवा ऐसी भूमि अथवा भवन पर बिक्री मनोरंजन या बैठक के आयोजित किए जाने पर,

(ग) जिस भूमि अथवा भवन पर विज्ञापन प्रदर्शित वह उसी के नाम से संबंधित हो अथवा उस भूमि या भवन के मालिक या कब्जाधारी का नाम इस पर प्रदर्शित हो,

(घ) किसी रेलवे के कार्य से संबंधित हो अथवा,

(च) किसी रेलवे स्टेशन के अन्दर प्रदर्शित हो अथवा रेलवे की किसी दीवार या अन्य सम्पत्ति पर प्रदर्शित हो । इसमें इस प्रकार की दीवार या सम्पत्ति का वह भाग सम्मिलित नहीं माना जाएगा जो किसी गली की ओर होगा । स्पष्टीकरण :— इस धारा में "स्काई-साइन" शब्द का तात्पर्य है कोई भी विज्ञापन जो किसी भूमि, भवन, दीवार या निर्माण पर किसी खम्भे, बल्ली, स्टण्डर्ड या फ्रेम पर या इसकी मदद से पूरी तरह या आंशिक रूप से लगा है तथा जो अथवा जिसका कुछ भाग किसी सार्वजनिक स्थान से आकाश की ओर देखने पर दिखाई देता है और इसमें उस खम्भे, बल्ली, स्टेण्डर्ड, फ्रेम वा अन्य सहारा ली गई वस्तु का समस्त भाग शामिल, माना जाएगा । "स्काई-साईन" शब्द किसी भूमि, भवन या निर्माण पर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में या इसके ऊपर निर्माण पर अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में या इसके ऊपर पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से विज्ञापन के उद्देश्य से लगाया गया गुब्बारा, पैराशूट या कोई अन्य इस प्रकार का उपकरण भी शामिल माना जाएगा परन्तु इसमें निम्नलिखित को शामिल नही माना जाएगा :—

(क) कोई भी फ्लैग स्टाफ, पोल, वाहन/वेन/या दिशा सूचक जब तक कि इसे पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी विज्ञापन के उद्देश्य से प्रयोग न किया जा रहा हो ।

(ख) कोई चिह्न या बोर्ड फ्रेम या कोई अन्य उपकरण जो किसी भवन की चारदीवारी या दीवार के ऊपर अथवा किसी दीवार के छज्जे या किनारे पर अथवा छत की मुंडेर पर लगाया हुआ हो, या बांधा गया हो, इसके साथ यह शर्त होगी कि इस प्रकार का बोर्ड, फ्रेम अथवा उपकरण एक ही बात को प्रदर्शित करता रहे और बार-बार विषय का बदलाव न हो तथा ऊंचाई में दीवार या चारदीवारी या मुंडेर जिसके ऊपर या साथ इसे लगाया गया है उससे एक मीटर से अधिक न हो,

(ग) यदि विज्ञापन उस भूमि अथवा भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह प्रदर्शित है, उसके नाम अथवा ऐसी भूमि या भवन के मालिक या कब्जाधारी के नाम से संबंधित है,

घ) कोई विज्ञापन जो केवल किसी रेलवे के कार्य से संबंधित हो तथा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी रेलवे स्टेशन, यार्ड, प्लेट फार्म या स्टेशन पर पहुंचने के रास्ते पर या इनके ऊपर इस प्रकार लगाया गया हो कि यह किसी भी गली अथवा सार्वजनिक स्थान के अन्तर्गत नहीं आता, अथवा,

च) किसी भूमि अथवा भवन पर उसकी बिक्री या किराया पर देने के लिए सूचना।

व्याख्या 3 : इस धारा में "सार्वजनिक स्थान" का अभिप्राय है कोई भी जो जन साधारण के प्रयोग तथा उपयोग के लिए चाहे जन साधारण उसका वास्ताव में प्रयोग अथवा उपयोग कर रहे हों या न कर रहे हो।

दिनांक 28 मई 1990

का० नि० आ० 14/संशोधन/83—जबकि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 21) की धारा 61 में उल्लिखित आवश्यकतानुसार, तत्कालीन बम्बई सरकार, सामान्य विभाग आदेश नं० 1996 दिनांक 6 अप्रैल, 1908 में निहित सम्पत्ति कर तथा सफाई कर संबंधी अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना स्थानीय रूप से 23, जनवरी, 1990 को प्रकाशित की गई थी जिसके अन्तर्गत इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से उक्त सूचना के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के अन्दर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे।

और जबकि तीस दिन की निर्धारित अवधि में छावनी बोर्ड को कोई आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से छावनी बोर्ड, बेलगाम एतद्द्वारा सम्पत्ति कर की दर में वृद्धि करके उसे भवन के वार्षिक किरायेदारी मूल्य के 07 प्रतिशत के बराबर निर्धारित करता है।

स० का नि० आ० 14/रिव्हे०/83—जबकि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 21) की धारा 61 में उल्लिखित आवश्यकतानुसार, रक्षा मंत्रालय के का० वि० आ० स० 173 दिनांक 19 जून, 1962 का अधिक्रमण करने के लिए अथवा बेलगाम छावनी के अन्दर जल-कर की दरें निश्चित करने के लिए, एक सार्वजनिक सूचना 27 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित की गई थी जिसके अन्तर्गत उसके प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के अन्दर उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे। और जबकि तीस दिन की अवधि के अन्दर छावनी बोर्ड, बेलगाम को किसी प्रकार की आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसलिए, अब उक्त अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से छावनी बोर्ड, बेलगाम एतद्द्वारा जल-कर की दरों में भवनों तथा भूमियों के वार्षिक किरायेदारी मूल्य के 5 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

ए० एच० रमेश,
छावनी अधिशासी अधिकारी,
बेलगाम

टिप्पणी :–

सदर्भ : पिछली अधिसूचना सं० 173 दिनांक 19 जून, 62.

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATE BANKS
CENTRAL OFFICE

Bombay-400 021, the 10th August 1990

EXISTING REGULATION	PROPOSED REGULATION
MEDICAL AID :	
No. SBD/002316 :—	
24 (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—	An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—
(a) *Medical Expenses*	(a) *Medical Expenses*
On and from the 1st January 1985, reimbursement of medical expenses of an officer drawing salary on the pay scale specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the Officer's own certificate of having incurred such expenditure supported	On and from 1-11-1987, reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of

Existing Regulation

by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limits specified in column 2 thereof.

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit per annum
(1)	(2)
	Rs.
Rs 1175/- to Rs. 1825/- p.m.	600/-
Rs. 1826/- p.m. and abave	800/-

Note : Officers may be allowed to accumulate unavailed medical aid subject to ceilings as above upto a maximum of three years.

EXPLANATION

"FAMILY" of an officer for the purpose shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) HOSPITALISATION EXPENSES

(i) Hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

(v) On and from 1-1-1987, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis. Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleurcsy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Proposed Regulation

accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof.

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit per annum
(1)	(2)
	Rs.
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	600/-
Rs. 3061/- p.m. and abave	800/-

Note : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

EXPLANATION

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) HOSPITALISATION EXPENSES

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

(v) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Chief Officer
Associate Banks

PUNJAB NATIONAL BANK

PERSONNEL DIVISION

HEAD OFFICE

New Delhi, the 31st July 1990

No. F.17/2/84-IR.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970). The Board of Directors of Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of InIdia and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Punjab National Bank (Officers') Service Regulations 1979.

2. Short title and commencement—(1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Officers) Service (Amendments) Regulation 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Regulation*-3

Definitions

3(k) 'pay' means basic pay including stagnation increment.

3(l) 'Salary' means the aggregat of the pay and dearness allowance

Regulation-4(1)

Grades & scales of pay

On and from 1-2-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) *Top Executive Grade* :
Scale-VII Rs. 4100-125-4600
Scale-VI Rs. 3850-125-4350

(b) *Senior Management Grade* :
Scale-V Rs. 3575-110-3685-115-3800
Scale-IV Rs. 2925-105-3450

(c) *Middle Management Grade* :
Scale-III Rs. 2650-100-3250
Scale-II Rs. 1825-1000-2925

(d) *Junior Management Grade* :
Scale-I Rs 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675.

On and from 1-11-1987, the sacles of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) *Top Executive Grade* :
Scale-VII Rs. 6400-150-7000
Scale-VI Rs. 5950-150-6550

(b) *Senior Management Grade*
Scale-V Rs. 5350-150-5950
Scale-IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) *Middle Management Grade* :

Scale-III Rs. 4020-120-4260-130-4910
Scale-II Rs. 3060-120-4260-130-4390

(d) *Junior Management Grade* :

Scale-I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government .

Regulation-5

Increments :

On and from 1-11-1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale-I and Scale-II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management grade Scale II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the scale II and Scale-III as the case may be subject to a maximum of two such increment of Rs. 130/- each for Officers in the last stage of Scale-II and one such increment of Rs. 140/- for officers in the last stage of Scale-III.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion.Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale-I or Scale-II as the case may be

5(2) On and from 1-11-1987, Officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only part I of CA IIB.	Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for Superannuation benefits.
Those who hvave passed both parts of CA IIB	(i) Rs. 100/- p.m. after 1 year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs. 250/- p.m. after 2 year of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

Note : If an Officer who is in receipt of Professional qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

Regulation 21

Dearness Allowance

On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4020/-

Regulation 22

House Rent Allowance

(1) On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommidation by the bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(2) On and from 1-11-1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Gavernment & Project Area Centre in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/-.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	12% of the pay subject to maximum of Rs. 300/-.
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Terri tories not cavered by (i) & (ii) abave.	10% of the pay subject to maximum of Rs. 250/-.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225/-.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

Regulation 22(3)

Where an officer resides in his own accommodation, he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one-twelfth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :—

(i) Muncipal taxes payable in respect of the accommodation; and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, . excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, Contractual rent payable by the Bank.

Regulation 23(i)

City Compensatory Allowance

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, provided that the city conmensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988 :—

Places	rate
(1)	(2)
(a) places in area I and in the state of Goa.	6¼% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month.
(b) places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh Pondicherry and Port Blair not cavered by (a) above.	4% of basic pay subject to amaximum of Rs. 135/- per month

Regulation 23(v)

Deputation Allowance

On and from 1-77-87, if an Officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

Provided further that an Officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350/-.

Regulation 23(vi)

Officiating Allowance

On and from 1-11-87, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely or the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the caategorisation takes effect.

Regulation 23(vii)

Closing Allowance

On and from financial year 1989-90, if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September, a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings.

Regulation 23(x)

Hill and Fuel Allowance

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Places	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above 3 but less than 1500 metres and Mercara Town.	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-.
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and abave but less than 300 metres.	6¼% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-.
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above.	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-.

Note :

(a) Officers posted at places with an altitudes of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitudes which channot be reached without crossing an altitudes of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitudes of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-87 and 30-4-89 shall not be recovered. From 1st May, 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

Regulation 24(i)

Medical Aid

An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses

On and from 1-11-87, reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the Officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by

a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof.

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
(1)	(2)
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 600/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 800/-

NOTE : An Officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation

"FAMILY" of an officer for the purpose of this Regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an Officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

(v) On and from 1-4-89, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Regulation 25

Residential Accommodation

On and from 1-11-87, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the Officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1½% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the Officer.

Regulation (34)1

Sick Leave

On and from 1-1-1989, an Officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

Regulation 35

Additional Sick Leave

On and from 1-1-1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

Regulation 41

Mode of Travel & Expenses on Travel

On and from 1-4-1990, the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(i) An Officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC sleeper by train. He may, however, travel by Air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st class or AC sleeper by train. He may however, travel by Air(economy class) if the distance to be travelled is more than 500 Kms. He may, however, travel by Air(economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or Public interest.

(ii) An Officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by Air(economy class).

(iv) An Officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

Regulation 42 (2)

Transfer Travelling Allowance

(i) On and from 1-11-1987, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
(1)	(2)	(3)
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full wagon	2000 kgs.

Regulation 45(2)

Provident Fund

The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1-11-87 to 31-12-88, 10% of 90% of pay on and from 1-1-89 to 31-12-89 and 10% of pay on and from 1-1-90 of the Officer.

Regulation 46(2)

Gratuity

The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one-half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

Note : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

Regulation-2

Applicability of the Regulations

2(1) These Regulations shall apply to all officers of the bank and to such other employees of the bank to whom they may be made applicable by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such Authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employees appointed/engaged in any country outside India and permanently serving there.

RASHID JILANI
Chairman & Managing Director

BANK OF MAHARASHTRA

PERSONNEL (DEPTT.)

Pune-411005, the 27th June 1990

No. Advt.III/IV/F.178/90-91.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 (5 of 1970/40 of 1980). the Board of Directors of BANK OF MAHARASHTRA in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the BANK OF MAHARASHTRA Officers' Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra Officers' Service Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Bank of Maharashtra Officers' Service Regulations, 1979, the existing 2 be substituted by the following :

2(1) These Regulations shall apply to all officers of the bank and as such employees of the bank to whom they may be made applicable by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such Authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employees appointed//engaged in any country outside India permanently serving there.

P. A. CHITALE,
Deputy General Manager (Ofg.) Personnel.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 071, the 10th August 1990

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/4/90-91.—In pursuance of Regulation 10(i)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	11153	Shri Samarendra Das Gupta, FCA CD/273, Salt Lake, CALCUTTA-700 064.	23-6-90
2.	51097	Shri Bimal Kanti Choudhury, ACA, 94, Ashutosh Colony, Haltu, CALCUTTA-700 078.	8-6-90
3.	51314	Shri Kallol Kumar Rai, ACA 26/A, East Road, CALCUTTA-700 032	25-6-90
4.	53317	Shri Sankar Prasad Datta, ACA 2/A, Jogesh Mitra Road, CALCUTTA-700 025.	27-6-90
5.	53843	Shri Surajit Mukherjee, ACA 158/1, Bakul Bagan Road, CALCUTTA-700 05.	8-6-90
6.	50388	Shri Sitaram Goenka, FCA D/11, Rani Sati Nagar, Flat No. 11, 2nd Floor, 'A' Wing, S. V. Road, Melad (West), BOMBAY-400 064.	20-6-90
7.	85047	Shri Atis Bhattacharyya, ACA 20/1-C, Raja Manindra Road, CALCUTTA-700 037.	8-6-90

M. C. NARASIMHAN
Secretary

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 6th August 1990

CORRIGENDUM

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/3246.—Please refer to notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/3246 dated 26-2-1990 published in Part-III, Section 4 at page No. 1251 (English Version) of the Gazette of India.

In Schedule-I of the said notification at S. No. 10 the Word "Jaualics" may be substituted with the Word "Janatics".

The 7th August 1990

No. CPFC 1 (4)/GI (164)/90/3292.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name and Address of the Establishment	Date of coverage
1.	GJ/14018	M/s. Honey and Sons Transporters & Labour Contractors, E/1748, Lal Bazar, Gallyarwad, BHARUCH-992001.	30-5-1986
2.	GJ/13819	M/s. K. S. B. Technical Institute, opp. G. I. D. C., Sanand District Ahmedabad.	1-11-1988
3.	GJ/14333	M/s. Patel Filters (Consultants) Vallabh Vidyanagar Road, Karamsad District, KAIRA-388 325.	1-5-1987

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section I of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the Provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

The 10th August 1990

No. Conf. 5 (15)/87/TN/2027.—In pursuance of subparagraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi No. S. O. 4914 dated 19-10-85, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Tamil Nadu consisting of the following persons namely :—

Chairman

Appointed by the Chairman of the Central Board.

1. Commissioner and Secretary to the Government, Labour & Employment Department, Madras-600 009.

Members

Two officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Govt.

2. Deputy Secretary to Government, Finance Department, Madras-600 009.
3. The Commissioner of Labour, Madras-6.

Employers' Representatives

Five representatives of Employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of the employers in the State.

4. Thiru N. Kannan, The Secretary, Employers Federation of Southern India, 41, Kasthuri Ranga Road, Alwarpet, Madras-600 018.
5. Thiru S. Madhavan, Law Officer, Southern India Mills Association, Race course Road, Coimbatore-18.
6. Thiru C. Sankaranarayanan, Secretary, Planters Association of Tamil Nadu, Coonoor-643101.
7. Thiru K. Ganapathy, Company Secretary, South India Sugar Mills Association, No. 18, Radhakrishna St., T. Nagar, Madras-17.
8. Thiru T. S. Dhanapalan, Honorary General Secretary, Tamil Nadu Small Scale Industries Association, M/s. Nivas Industries, 4-A (NP) Development Plot, Ikkaduthargal, Madras-97.

Employees' Representatives

Five representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of employees in the State.

9. Thiru S. C. Kirshnan, Vice-President, Tamil Nadu, A.I.T.U.C., Madras.
10. Thiru A. K. Padmanabhan, Assistant General Secretary, Tamil Nadu State CITU, Madras.
11. Thiru S. Duraisamy, General Secretary, Labour Progressive Federation, Madras-600005.
12. Thiru P. L. Subbiah, General Secretary, India National Trade Union, Congress, Coimbatore.
13. Thiru V. G. Rajaram, Hindu Mazdoor Sabha, Thiyagi N.G.R. Mahal, 2242, Trichy Road, Singahallur, Coimbatore-641005.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS

Bangalore, the 26th July 1990

Ref. C. No. VIII/17/202/89. Cus/Legal.—In pursuance of Rule 3(1) of the Customs (Publication of Names) Rules, 1975, I, hereby publish the Names and particulars of the persons convicted under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) as specified below :

Sl. No.	Name & Address of the persons convicted	Nature of Offence	Name of the Court awarding the sentence	Criminal Case No.	Date of Conviction	Particulars of punishment awarded
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pandurang, S/o Shivaji Jadhav, Salasinga Taluka, Vita, Dist. Sangli, Maharashtra.	Concerned in possessing, carrying, concealing, purchasing or in any other manner dealing with 3 pieces of gold of foreign origin totally weighing 170.46 gms valued at Rs. 44,667/- which he knew or had reasons to believe were liable to confiscation under Section 111(d) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).	Principal Civil Judge and Chief Judicial Magistrate, Belgaum.	C.C. No. 105/89	23-3-89	Convicted of the offences punishable under Section 135(1)(b)(ii) of the Customs Act, 1962, and sentenced to pay a fine of Rs. 1,000/- in default to undergo simple imprisonment for 20 days.
2.	C. M. Dawood, S/o Mohiddin Kunni, At. Thekkilapory, PO : Thekkilapory, Dist. Kasargod, Kerala State.	Concerned in possessing, carrying, concealing, purchasing, or in any other manner dealing with 3 pellets of gold of foreign origin weighing 30 tolas valued at Rs. 77,697/- which he knew or had reasons to believe that were liable to confiscation under Section 111(d) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).	Principal Civil Judge and Chief Judicial Magistrate, Belgum.	C.C. No. 1473/88	23-3-89	Convicted of the offences punishable under Section 135(1)(b)(ii) of the Customs Act, 1962 and sentenced to pay a fine of Rs. 1,000/- in default to undergo simple imprisonment for 20 days.

J. P. KAUSHIK,
Collector of Customs

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

New Delhi-110016, the 10th August 1990

NOTICE

No. CWC/III-18/33/90 B&C.—In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director duly elected on 8-8-90 (AN) for a period of 2 years w.e.f. 10-8-90 from the class of shareholders specified in clause (c) of sub-section 1 of Section 7 of Warehousing Corporations Act, 1962, is notified as under :—

Class of Shareholders	Name and Address of the Director
(1)	(2)
Co-operative Societies .	Shri Sarju Narayan Purohit, C/o (i) Bikampur Gram Seva Sahakari Samiti Ltd., Bikampur Distt. Bikaner. (ii) Rani Bazar Sahakari Upbhokta Bhandar Ltd., Bikaner

M. MASEEH,
Secretary
Central Warehousing Corporation.

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 9th August 1990

CORRIGENDA

No. UT/93/DPD/(P&R)3B/Vol.II/90-91.—The following corrections in our (Corringenda) Notification No. UT/421/DPD/(P&R) 3B/Vol. II/89-90 dated June 7, 1990 published on Page No. 2022 in the Gazette of India (Part III Section 4) dated June 30, 1990 are published for information.

(1) Notification No. as given in the first line of our Corrigenda published in the Gazette of India dated June 30, 1990 is to be corrected as UT/421/DPD/(P&R)3B/Vol. II/89-90.

(2) Also, our Corrigenda refers to Gazette of India dated "March 4, 1990" (fourth line). This date should be corrected as "March 24, 1990."

P. P. SHASTRI,
Deputy General Manager (P&R)

CANTONMENT BOARD

Belgaum, the 12th May 1990

No. SRO.14/REV/88.—Whereas a public notice to impose a tax on advertisement by Cantonment Board, Belgaum, was published on 27th December 1989, as required by Section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for the information of all persons likely to be affected thereby till expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice.

And whereas only two objections and suggestions received from the public to the said proposal have been considered by the Cantonment Board, Belgaum.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Belgaum, with the previous sanction of the Central Government hereby impose a tax to be known as the tax on advertisement within the limits of Belgaum Cantonment at the rates specified as here under :—

Sl. No.	Particulars	Amount of Tax
1	2	3
1.	Advertisement Boards/wall paintings/Sign Board and Non-illuminated skysigns.	Rs. 4/- per month per square metre.
2.	Advertisement suspended across the Footpaths and Streets.	Rs. 6/- per month per square metre.
3.	Advertisement carried by Cycle, Rickshaw, Hand Cart, Bullock-Cart Jutka or Sandwitch Board.	Rs. 16/- per month.
4.	Advertisement boards carried by Mechanical means—Motor Car, Buses, Vans and Lorries.	Rs. 40/- per month.
5.	Illuminated advertisement	Rs. 20/- per month.
6.	Advertisement exhibited on screen by means of slides.	Rs. 20/- per month.
7.	All the advertisement films exhibited on the screen.	Rs. 0.40 paise per metre.
8.	Illuminated advertisement and Neon sign boards.	Rs. 12/- per month. per square metre.
9.	**Cinema Posters and other Posters :**	
	(a) Space not exceeding a double crown 20′ × 10′	Re. 0·20 paise per poster.
	(b) Space not exceeding Quad Crown 30′ × 40′.	Re. 0·40 paise per poster.
	(c) For size other than Double Crown, Quad Crown, Royal size posters.	Re. 0·60 paise per poster.

Provided that no tax shall be levied under this section on any advertisement or a notice,—

(a) of Cantonment Board of Belgaum;

(b) of a public meeting;

(c) of an election to the Cantonment Board or to any legislative body; or

(d) of a candidature in respect of such an election;

Provided further that no such tax shall be levied on any advertisement which is not a sky-sign and which,—

(a) is exhibited within the window of any building;

(b) relates to the trade or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited, or to any sale or letting of such land or building or any effects therein or to any sale, entertainment or meeting to be held upon or in such land or building;

(c) relates to the name of the land or building, upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the owner or occupier of such land or building;

(d) relates to the business of any railways; or

(e) is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of the Railways, except any portion of the surface of such wall or property fronting any street.

EXPLANATION 1 : The expression 'sky-sign' in this section, means any advertisement, supported on or attached to any post, pole, standard, frame-work or other support wholly or in part upon or over any land, building, wall or structure which, or any part of which shall be visible against the sky from some point in any public place and includes all and every part of any such post, pole, standard, frame-work or other support. The expression 'sky-sign' shall also include any balloon, parachute or other similar device employed wholly or in part for the purposes of any advertisement upon or over any land, building or structures or upon or over any public place but shall not include;

(a) any flag-staff, pole, van or weather-cock, unless adopted or used wholly or in part for the purpose of any advertisement;

(b) any sign, or any board, frame or other contrivance securely fixed to or on the top of the wall or parapet of any building, or on the cornice or blocking course of any wall, or to the ridge of roof;

Provided that such Board, frame or other contrivance be of one continuous face and not open work, and does not extend in height more than one metre above any part of the wall, or parapet or ridge to, or against, or on which it is fixed or supported;

(c) any advertisement relating to the name of the land or building, upon or over which the advertisement is exhibited; or to the name of the owner or occupier of such land or building;

(d) any advertisement relating exclusively to the business of a railway, and placed wholly upon or over any railway, railway station, yard, platform or station approach belonging to a railway, and so placed that it can not fall into any street or public place; or

(e) any notice of land or buildings to be sold, or let, placed upon such land or buildings;

EXPLANATION 3 : 'Public place' shall, for the purpose of this section, mean any place which is open to the use and enjoyment of the public, whether it is actually used or enjoyed by the public or not.

The 28th May 1990

No. S.R.O. 14/REV/83.—Whereas a public notice to amend the notification imposing property tax and sanitary tax contained in erstwhile Government of Bombay General Department Order No. 1996 dated the 6th April 1908, as required by Section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of

1924) was published locally on 23rd January 1990, for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice.

And whereas no objections and suggestions were received by the Cantonment Board, Belgaum within the stipulated period of thirty days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Belgaum, with the previous sanction of the Central Government hereby raise the rate of property tax to 7 percent per annum on the annual letting value of building.

NOTE :—Previous notification No. 1996 dated 6th April 1908.

No. S.R.O. 14/REV/83.—Whereas a public notice to supersede the notification contained in the Ministry of Defence No. SRO 173 dated the 19th June 1962 and fixing the rates of water tax within the limits of Belgaum Cantonment, was published on 27th December 1989, as required under Section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections suggestions from all the affected persons thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice.

And whereas no objections/suggestions have been received by the Cantonment Board, Belgaum within the period of thirty days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Belgaum, with the previous sanction of the Central Government, hereby raise the rate of water tax to 5 percent per annum on the annual letting value of buildings and lands.

A. H. RAMESH,
Cantonment Executive Officer

NOTE :—Reference previous Notification No. 173 dated the 19th June 62.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990